

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 348/2019 अनवान घर्माराम बनाम भैराराम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जाखड़ों की ढाणी पर पत्रावली पेश हो।

(उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड (अ) बाड़ी, बाड़मेर)

08.10.2021

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 753 रकबा 46.04 बीघा किस्म बारानी सोयम, ग्राम जाखड़ों की ढाणी के खसरा नंबर 331 रकबा 23.02 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 354 रकबा 0.07 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नंबर 850/355 रकबा 186.05 एवं खसरा नंबर 830/332 रकबा 23.00 कुल रकबा 278.18 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 753 रकबा 46.04 बीघा किस्म बारानी सोयम, ग्राम जाखड़ों की ढाणी के खसरा नंबर 331 रकबा 23.02 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 354 रकबा 0.07 बिस्वा किस्म गै.मु. ढाणी खसरा नंबर 850/355 रकबा 186.05 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 830/332 रकबा 23.00 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 278.18 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फौसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढाणी

प्रार्थीगण

1 धर्मराम पुत्र कानाराम 2 श्रीमती हत्थू पत्नी मेरामाराम 3 दुर्गाराम 4 बगत्ताराम 5 देराजराम पिसरान मेरामाराम 6 ठाकराराम 7 तेजाराम 8 वीरमाराम पिसरान लालाराम 9 श्रीमती सजनी पत्नी लालाराम 10 श्रीमती चनणी पत्नी मूलाराम 11 मूलाराम पुत्र अणदाराम जातियान जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 भैराराम पुत्र अचलाराम 2 ठाकराराम 3 अमेदाराम 4 सोनाराम पिसरान हरखाराम 5 हनुमानराम पुत्र मोटाराम 6 रूखाराम पुत्र नरसिंगाराम 7 दमाराम पुत्र प्रहलादराम 8 हुकमाराम पुत्र प्रहलादराम 9 जूंजाराम पुत्र देदाराम 10 हेमाराम पुत्र देदाराम 11 श्रीमती चम्पादेवी पत्नी देदाराम 12 उमाराम पुत्र किरताराम 13 जेठाराम पुत्र किरताराम 14 मनीष पुत्र लालाराम 15 दीपक पुत्र लालाराम 16 भोमाराम पुत्र मोटाराम 17 पूरखाराम पुत्र मोटाराम 18 डालूराम पुत्र मोटाराम 19 हनुमानराम पुत्र मोटाराम 20 श्रीमती जेतीदेवी पत्नी मोटाराम जातियान जाट निवासीयान अणदे का तला (जाखड़ों की ढाणी) तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आदेदन संख्या-348/2019

दिनांक-08.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सारणों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 753 रकबा 46.04 बीघा किस्म बारानी सोयम, ग्राम जाखड़ों की ढाणी के खसरा नंबर 331 रकबा 23.02 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा नंबर 354 रकबा 0.07 बिस्वा किस्म गै.मु. ढाणी खसरा नंबर 850/355 रकबा 186.05 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 830/332 रकबा 23.00 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 278.18 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्र कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक-

क्रमांक/रीडर/2021/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी धर्मराम पुत्र कानाराम वगैराह जाति जाट निवासी जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण भैराराम पुत्र अचलाराम वगैराह जातियान जाट निवासीयान अणदे का तला (जाखड़ों की ढाणी) तहसील एवं जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर